महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 27.01.2026

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक: -27.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 27.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरुकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 27.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 27.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस का सघन औचक ड्राइव अभियान, बाल विवाह/रक्षा अभियान के अंतर्गत संदिग्ध स्थलों पर चेकिंग, जन-जागरूकता एवं सख्त हिदायत...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह (नोडल अधिकारी) महोबा के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी महोदय कार्यालय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन सुनिश्चित करने हेतु मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत बाल विवाह/रक्षा अभियान के तहत एक औचक सघन अभियान संचालित किया गया।

उक्त अभियान के अंतर्गत थाना एएचटीयू जनपद महोबा से उ0नि0 फूलचन्द्र मिश्र के नेतृत्व में मय हमराह म0कां0 कविता देवी, मुख्य आरक्षी कृष्ण कुमार पटेल, श्री दीपक कुमार (कोऑर्डिनेटर, चाइल्ड लाइन महोबा) तथा कां0 मोहम्मद तन्जीम, कां0 विजय कुमार एवं म0कां0 शान्ति देवी (जीआरपी थाना महोबा) की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा क्षेत्र में पड़ने वाले होटलों, दुकानों, वर्कशॉप, गैराजों एवं अन्य संदिग्ध स्थलों पर सघन औचक चेकिंग की गई।

अभियान के दौरान गजानन होटल (स्टेशन रोड, चरखारी बाईपास), विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस (छतरपुर रोड), साँईमार्ट (भटीपुरा), विघ्नहर्ता वासुन्दी चाय-लस्सी शॉप (पुलिस लाइन रोड) तथा रेलवे स्टेशन महोबा सहित अन्य स्थानों पर गहन जांच की गई। चेकिंग के दौरान कोई भी नाबालिग बालक/बालिका बाल श्रम करते हुए नहीं पाया गया।

इस अवसर पर एएचटीयू टीम द्वारा दुकानदारों, ढाबा संचालकों एवं प्रतिष्ठान स्वामियों को कड़ी हिदायत दी गई कि नाबालिग बालक/बालिका से कार्य कराना कानूनन दंडनीय अपराध है, तथा ऐसा पाए जाने पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही टीम द्वारा आम जनमानस को मानव तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक किया गया तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु शासन द्वारा जारी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 108, 112, 1076 एवं 181 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

महोबा पुलिस महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत ऐसे औचक चेकिंग एवं जागरूकता अभियानों को भविष्य में भी निरंतर प्रभावी रूप से जारी रखा जाएगा।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 27.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अवैध शस्त्र के विरुद्ध अभियान में थाना अजनर पुलिस को दोहरी सफलता, दो अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्रों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस द्वारा उल्लेखनीय कार्यवाही की गयी।

थानाध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र द्वारा गठित पुलिस टीमों ने मुखबिर की सूचना के आधार पर दो अलग-अलग स्थानों से कुल 02 नफर अभियुक्तों को अवैध तमंचा एवं जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।

दिनांक 27.01.2026 को ग्राम मवइया बुधौरा मोड़ पर बने यात्री प्रतिक्षालय के पास से अभियुक्त आशीष राजपूत पुत्र स्व0 करन सिंह राजपूत, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम मंगरौल कला, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

इसी क्रम में दिनांक 26.01.2026 को ग्राम पुरवा जैतपुर मोड़ के पास से अभियुक्त शैलेन्द्र वर्मा पुत्र रमेश वर्मा, उम्र करीब 21 वर्ष, निवासी ग्राम पलका, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से भी एक अदद तमंचा देशी 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 19/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह, थाना अजनर
2. उ0नि0 आकाश मौर्य, थाना अजनर
3. का0 भरत सिंह, थाना अजनर
4. का0 सौरभ सिंह, थाना अजनर

कुल बरामदगी-

- 02 अदद तमंचा देशी 315 बोर
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक:– 27.01.2026

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति के अंतर्गत पुलिस की संवेदनशील पहल से पारिवारिक विवाद का शांतिपूर्ण समाधान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एक पारिवारिक विवाद का शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण समाधान कराया गया।

आज दिनांक 27.01.2026 को आवेदिका श्रीमती पूजा पत्नी श्री दीपक अनुरागी, निवासी ग्राम टिकरिया, थाना अजनर, जनपद महोबा द्वारा अपने पति के विरुद्ध शराब के नशे में गाली-गलौज एवं मारपीट किए जाने संबंधी शिकायत डायल-112 पर दर्ज कराई गई थी। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को थाना हाजा लाया गया।

मिशन शक्ति केंद्र में दोनों पक्षों को सम्मानपूर्वक बैठाकर काउंसलिंग कराई गई। मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता एवं अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके अंतर्गत पारिवारिक विवादों में संवेदनशील, मानवीय एवं कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए समाधान कराया जाता है।

काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को समझाया-बुझाया गया, जिस पर पति-पत्नी द्वारा आपसी सहमति से प्रेमपूर्वक साथ रहने की इच्छा व्यक्त की गई। आवेदिका द्वारा लिखित तहरीर प्रस्तुत कर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही न करने की इच्छा जताई गई।

तत्पश्चात दोनों पक्षों को आवेदिका की सास श्रीमती गीता पत्नी श्री छत्रपाल अनुरागी के साथ ससम्मान थाना हाजा से रुकसत किया गया।

पुलिस प्रशासन द्वारा यह संदेश दिया गया कि मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं से जुड़े मामलों में त्वरित, संवेदनशील एवं न्यायसंगत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अभियोग में आरोपी अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के तहत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप सी0जे0एम0 कोर्ट महोबा द्वारा “आवश्यक वस्तु अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अभियुक्त को 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कबरई में पंजीकृत मु0अ0सं0 402/2010 धारा 3/7 ई.सी. एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त सचिन पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता निवासी मु0 सुभाषनगर थाना कबरई जनपद महोबा को 03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।